(1)

राज कुमार मौर्य
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
जी. जे. कालेज, रामबाग, बिहटा, पटना
B.A. II Paper - III

राज्य सभा

* राज्य सभा संसद का प्रथम या उच्च सदन है।

* यह एक स्थायी सदन है। यह न तो कभी भंग होती है और न ही नये सिरे से इसका निर्माण होता है।

संरचना

राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है जिसमें 238 निर्वाचित होगें और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनित किए जाएँगें। वर्तमान समय में राज्यसभा की वास्तविक ~~संख~~ सदस्य संख्या 245 है।

सीटो के आवंटन का आधार

भारत में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को प्रथम 50 लाख की जनसंख्या के आधार पर 6 सीट प्राप्त होगी तथा 20 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर एक अतिरिक्त सीट प्राप्त होगी।

Scanned with CamScanner

खुला मतदान

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य सभा चुनाव में खुला मतदान आयोजित होगा।

निवास

वर्ष 2003 से संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारतीय भू-भाग में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति राज्यसभा निर्वाचन में किसी भी राज्य से भाग ले सकता है।

निर्वाचन के लिए नामांकन

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार राज्य सभा निर्वाचन के लिए 10 हजार की जमा राशि भरनी पड़ती है तथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल के उम्मीदवारों का समर्थन विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों का 10 प्रतिशत अथवा 10 विधायक सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, जो भी इसमें कम हो।

कार्यकाल

राज्य सभा एक स्थाई निकाय है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्यों में यथासम्भव

Scanned with CamScanner

(3)

एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक दूसरे वर्ष समाप्त हो जाता है।

योग्यता

राज्य सभा के सदस्यों की योग्यता इस प्रकार है,

1→ वह भारत का नागरिक हो।

2→ राज्य सभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु का होना आवश्यक है।

3→ निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत एवं तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करना आवश्यक है।

4→ इसके अतिरिक्त संविधान में संसद को योग्यता निर्धारित करने की शक्ति दी गई है।

अयोग्यता

1→ उसने भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ का पद ग्रहण न किया हो।

2→ दिवालिया न हो।

3→ किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे विकृत चित्त

Scanned with CamScanner

का घोषित न किया गया हो।

५→ भारत की नागरिकता का ए परित्याग कर दिया हो अथवा स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है

(I) → अयोग्यता का निर्धारण

संविधान में राज्यसभा एवं लोक सभा सदस्यों की योग्यता का एकसमान प्रावधान है एवं अयोग्यता के तरीके एकसमान है। संविधान में उल्लिखित अयोग्यता का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।

I → जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

II → दल-बदल कानून के अनुसार

III → दोहरी सदस्यता

सभापति :— उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का पालन कर रहा होता है तब उपसभापति सभापति के दायित्वों का निर्वहन करता है।

Scanned with CamScanner

कार्य एवं शक्तियां

कार्य एवं शक्तियों के दृष्टिकोण से राज्य सभा कम प्रभावशाली है किन्तु इसको बिल्कुल ही महत्वहीन नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि गैर धन विधेयक को छोड़कर दोनों की सहमति प्राप्त होना आवश्यक है। यदि दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक बुलायी जाती है।

राज्य सभा की कुछ विशेष शक्तियां

1> राज्य सभा अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।

2> राज्य सभा अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है।

3> उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य सभा आरम्भ कर सकती है।

Scanned with CamScanner

राज्य सभा का महत्व

1 ⇒ राज्यों का प्रतिनिधित्व

2 ⇒ वरिष्ठों का सदन

3 ⇒ पुनरीक्षणकारी सदन